स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियंत्रक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं। निम्नलिखित अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम और अनुषंगियां मिलकर स्टेट बैंक समूह बनता है।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए समेकित करने पर विचार किया गया।

निम्नलिखित अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंकों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	एसबीआई (कनाडा) बैंक	कनाडा	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
27	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि.	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
28	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
29	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
30	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगीः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
31	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
33	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
34	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	एसबीआई मैक्वेरी इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	एसबीआई मैक्वेरी इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	मैक्वेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	मैक्वेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	बरमुडा	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
40	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	जियो पेमेंट्स बैंक	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
45	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	मेघालय रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	लांग्पी देहाँगी रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
48	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	मिज़ोरम रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
51	पूर्वांचल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
56	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
58	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
59	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
60	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
61	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सूची जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	एक अलाभकारी कंपनी जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर ध्यान दे सके।	14.02	98.90%	विनियामिक पूँजी से काटी गई	14.03
2	एसबीआई होम फाइनैंस लि.	भारत	परिसमापन अधीन	लागू नहीं	25.05%	पूर्ण प्रावधान उपलब्ध	लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सूची

समेकन के नियंत्रक क्षेत्र में शामिल की गई समूह की संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	बैंकिंग सेवाएं	6,352.00	116,293.34
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	बैंकिंग सेवाएं	8,887.97	163,189.88
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	बैंकिंग सेवाएं	3,800.93	88,995.75
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	बैंकिंग सेवाएं	8,478.05	122,829.16
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	बैंकिंग सेवाएं	4,414.81	125,916.61
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चेंट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएं	1,156.90	1,243.09
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसकी सहायक सेवाएं तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	142.04	280.55
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	आस्ति प्रबंधन कंपनी वेंचर फंड के लिए	44.85	46.44
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	64.35	67.83
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कॉरपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएं	8.37	8.49
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएं	58.74	59.34

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	1,046.42	3,187.70
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	व्यापारी अभिग्रहण व्यवसाय से संबंधित सेवाएं	2.70	3.50
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	323.82	920.40
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	एन पी एस ट्रस्ट की उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	35.11	35.92
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएं और फंड अकाउंटिंग सेवाएं	99.42	104.78
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएं	23.20	23.22
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएं	770.98	985.05
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएं	0.82	1.12
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड कारोबार	1,450.89	10,785.47
21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएं	766.11	4,178.77
22	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएं	654.39	4,726.43
23	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएं	269.28	734.87
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएं	1,153.72	7,141.79
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएं	591.99	2,098.21
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएं	504.79	6,009.01
27	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि.	नेपाल	मर्चेण्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएं	6.46	6.56
28	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएं	67.15	234.27
29	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजिल	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएं	2.31	2.38

$ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व तथा सरप्लस शामिल हैं

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जो घटा दी गई हैं:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम-भारित हैं :

बीमा संस्था का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
निरंक				

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा : निरंक

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन

- भारतीय रिजर्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है।

- जोखिम
- परिचालन जोखिम
- चलनिधि जोखिम
- अनुपालन जोखिम
- पेंशन निधि दायित्व जोखिम
- प्रतिष्ठा जोखिम
- ऋण जोखिम अल्पीकरण से छूट गए जोखिम
- निपटान जोखिम
- बाजार जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- देश जोखिम
- नव व्यवसाय जोखिम
- कार्यनीतिक जोखिम
- मॉडल जोखिम
- कन्टेजन जोखिम
- प्रतिभूतिकरण जोखिम

- अग्रिमों और भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
- 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास विकल्प हैं। वह गौण ऋण और बेमीयादी ऋण लिखत के अतिरिक्त जब-जब जरूरत हो, इक्विटी जारी कर सकता है।
- विदेशी अनुषंगियों के लिए पूंजी की कार्यनीतिक योजना तैयार करने में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हेतु अपेक्षित पूंजी का निर्धारण किया जाता है। हर अनुषंगी की सीईटी-1/एटी-1 और श्रेणी-2 पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद मूल बैंक पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन करता है, ताकि पूंजी का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

• मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो	₹ 1,41,622.03 करोड़
• निवेश का प्रतिभूतिकरण	Nil
कुल	**₹ 1,41,622.03 करोड़**

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकत

• (*मानक अवधि पद्धति)	
- ब्याज दर जोखिम	₹ 10,491.81 करोड़
-विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है)	₹ 193.01करोड़
-इक्विटी जोखिम	₹ 3,643.74 करोड
कुल	**₹ 14,328.56 करोड़**

(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

• मूल संकेतक पद्धति	₹ 16,432.65 करोड़
• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	
कुल	**₹ 16,432.65 करोड़**

(ङ) साझा श्रेणी-1 पूँजी, श्रेणी 1 और कुल पूंजी अनुपातः

- शीर्ष मेकित समूह के लिए, तथा
- बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)

दिनांक 31.03.2017 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	श्रेणी-1(%)	योग (%)
एसबीआई समूह	9.92	10.41	13.03
भारतीय स्टेट बैंक	9.82	10.35	13.11
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	7.23	7.37	9.25
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	8.63	9.23	11.73
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6.10	8.09	12.41
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	7.34	9.03	12.43
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	8.04	9.94	12.19
एसबीआई (मारीशस) लि.	19.80	19.80	20.80
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	15.92	15.92	18.28
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)	17.02	17.02	18.08
कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को	43.03	43.03	43.03
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	35.81	35.81	36.70
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	11.81	11.81	14.20
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	45.34	45.34	45.34

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)**

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। दिनांक 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहाँ :

i. किसी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

ii. कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है

iii. खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;

iv. अन्य प्रकार के खातों में प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

vii. चलनिधि सुविधा की राशि प्रतिभूतिकरण संबंधी दिनांक 1 फरवरी 2006 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में 90 दिन से अधिक बकाया रहती हो।

viii. डेरीवेटिव्स लेनदेनों के संबंध में, डेरीवेटिव संविदा के बाजार मूल्य की अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्यराशियां भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए अप्रदत्त रहती हो।

'अनियमित श्रेणी' स्थिति

कोई खाता उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है जब उसमें बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहे।

यदि किसी मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा इस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा न की गई हो तो ऐसे खाते को **'अनियमित'** माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा न की गई हो।

- **बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन पर चर्चा**

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से, अवधारणाओं के विकास और प्राप्त अनुभवों से इस नीति और कार्यविधि में परिष्कार आया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

(i.) प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इस हेतु विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेना। ये जोखिमें मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

(ii.) औद्योगिक अनुसंधान, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों को संभालने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाएं और नीतिगत उपचार सुझाए जाएँ। समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों की गणना की जाती है। ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि इन घटकों के उदाहरण हैं।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, भू-संपदा आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदण्डों से संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक में एक ऋण नीति लागू है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविभाग के अंदर व्यक्तिगत आस्तियों की गुणवत्ता में अनुचित गिरावट न आए। साथ ही साथ, इसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ते हुए ऋण की मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएं, दस्तावेजी मानक और संस्थात्मक चिंता एवं कार्यनीतियों के प्रति जागरूकता से संबंधित समान दृष्टिकोण स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। ₹10 करोड़ और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का लक्ष्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। जोखिमों की पहचान और उन्हें कम करने के उपाय भी इस लेखा-परीक्षा का विषय होते हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (बीमा इकाइयां, संयुक्त उद्यम एवं गैर-वित्तीय इकाइयों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

सामान्य प्रकटीकरण :

मात्रात्मक प्रकटीकरण

		निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
ख	ऋण जोखिम की कुल राशि	1981054.01	415294.43	2396348.44
ग	जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी /एनएफबी			
	विदेशी	294161.12	32872.69	327033.81
	देशीय	1686892.89	382421.74	2069314.63
घ	जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर-निधि आधारित अलग-अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
ङ	आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखें		
च	अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) अर्थात (I से iv का योग)			179166.62
	i. अवमानक			44229.63
	ii. संदिग्ध 1			44890.08
	iii संदिग्ध 2			71376.83
	iv. संदिग्ध 3			14674.62
	v. हानिप्रद			3995.46
छ	निवल अनर्जक आस्तियां			97656.82
ज	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			9.04%
	ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			5.15%
झ	अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
	i) प्रारंभिक शेष			123416.43
	ii) वृद्धि			110903.95
	iii)कमी			55153.76
	iv)अंतिम शेष			179166.62
ञ	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	i) प्रारंभिक शेष			53627.25
	ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			59811.09
	iii) अपलेखन			31752.03
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			176.51
	v) अंतिम शेष			81509.80
ट	अनर्जक निवेशों की राशि			2418.79
ठ	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			431.35
ड	निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	प्रारंभिक शेष			695.64
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			2079.22
	जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			0.00
	अपलेखन			154.96
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			326.55
	अंतिम शेष			2293.35
ढ	बड़े उद्योग या प्रति पक्ष प्रकार द्वारा			
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, तो बकाया ऋण, अलग से किया गया प्रावधान			102973.59
	निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधान; और			14695.25
	चालू अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्रावधान और अपलिखित राशि			5475.37
ण	एनपीए की राशि और पिछले बकाया ऋण जिनके लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र वार अलग-अलग प्रावधान किया गया हो जिसमें निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधान शामिल हो			47117.43
	प्रावधान			14978.78

तालिका-क : डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एक्सपोजरों का औद्योगिक वितरण

(₹ करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक	कुल	
1	कोयला	2,482.86	1,107.57	3,590.43	3153.32
2	खदान	8,431.59	832.76	9,264.35	1595.20
3	लोह एवं इस्पात	77,083.37	56,259.18	133,342.55	21604.48
4	धातु उत्पाद	42,687.41	4,603.60	47,291.01	6570.64
5	सभी अभियांत्रिकी	28,989.19	8,685.23	37,674.43	74646.76
51	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	6,478.21	441.43	6,919.64	4225.01
6	बिजली	9,354.34	648.30	10,002.64	1613.05
7	सूती वस्त्र	23,974.62	11,408.56	35,383.18	2138.25
8	जूट वस्त्र	318.78	28.88	347.66	45.57
9	अन्य वस्त्र	18,759.74	5,015.25	23,774.99	2415.78
10	चीनी	8,587.03	738.99	9,326.02	907.64
11	चाय	490.83	195.02	685.85	27.73
12	खाद्य प्रसंस्करण	28,646.85	10,365.36	39,012.21	2687.08
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	4,257.16	1,657.73	5,914.89	3380.12
14	तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद	504.48	69.37	573.85	351.65
15	कागज/कागज उत्पाद	4,157.55	1,000.22	5,157.77	1092.11
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	8,959.24	835.85	9,795.09	2301.28
17	रसायन/रंग/रोगन आदि	66,423.83	3,615.03	70,038.86	42635.60
17.1	जिसमें उर्वरक	12,799.30	43.53	12,842.83	4069.83
17.2	जिसमें पेट्रोरसायन	27,544.72	1,065.64	28,610.36	33202.36
17.3	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	10,104.98	1,714.65	11,819.64	1518.78
18	सीमेंट	8,730.57	2,359.37	11,089.94	3133.09
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,381.24	111.25	2,492.49	441.12
20	रत्न एवं आभूषण	13,995.06	1,807.57	15,802.63	3022.46
21	निर्माण	20,212.31	2,397.42	22,609.74	7637.16
22	पेट्रोलियम	12,734.33	4,662.08	17,396.41	20571.57
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	11,603.23	3,738.63	15,341.86	6614.08
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,148.84	391.87	2,540.71	1294.29
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	241,651.36	23,317.14	264,968.50	88428.73
25.1	जिसमें बिजली	165,019.83	6,250.89	171,270.72	27526.43
25.2	जिसमें दूरसंचार	22,604.36	259.11	22,863.48	19030.38
25.3	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	22,600.42	7,319.72	29,920.14	15567.95
26	अन्य उद्योग	274,463.61	12,716.17	287,179.78	50673.33
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	198,032.90	7,799.73	205,832.63	26888.67
28	शेष अग्रिम	681,825.07	12,798.48	694,623.55	39423.67
	योग	**1,801,887.39**	**179,166.62**	**1,981,054.01**	**415294.43**

तालिका - ख

डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण*

(₹ करोड़ में)

	अंतर्वाह	1-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन एवं 2 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल	
1	नकदी	14815.23	0.35	0.40	0.40	1.21	2.43	3.24	0.00	0.00	14823.26
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	43023.53	1812.52	1582.71	1508.77	4775.35	13082.77	32127.76	11224.80	36938.13	146076.35
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	106060.84	924.66	1218.91	856.30	128.03	321.95	3321.17	424.33	382.03	113638.22
4	निवेश	53102.63	11055.34	22736.64	25716.82	73925.42	53783.21	123987.96	128138.44	457801.53	950247.99
5	अग्रिम	127823.01	32185.32	37861.43	43748.73	40721.58	54654.31	702458.86	169768.37	687883.09	1897104.70
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	8.65	50277.66	50291.84
7	अन्य आस्तियां	60041.66	7712.38	7500.42	3439.72	7330.46	12634.32	13781.29	7487.07	73954.10	193881.41
	कुल	404866.90	53690.57	70900.51	75270.73	126882.05	134478.99	875685.81	317051.66	1307236.54	3366063.77

***टिप्पणियां:**

(i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंत:-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

(ii) निवेशों में अनर्जक निवेश शामिल है और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल है।

(iii) उक्त (Bucketing) संरचना में तालिका दिनांक 23 मार्च 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर संशोधन किया गया है।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण

- **प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों तो उनके कारण भी**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमश: केयर, क्रिसिल, आईसीआरए और फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- **ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई**

  (i) एक वर्ष या कम समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

  बैंक की बाह्य रेटिंग प्रयोज्यता रूपरेखा की प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं:

  - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक की क्रमश: दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन जोखिमों के लिए निर्धारित की गई सभी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन रेटिंगों पर बैंक द्वारा एक मुदे विशिष्ट रेटिंग्स के रूप में विचार किया जाता है।
  - विदेशी प्रभुसत्ता और विदेशी बैंक जोखिमें जोखिम भारित होती हैं जो जारीकर्ता के लिए निर्धारित की गई उनकी रेटिंग्स पर आधारित होती है।
  - बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणी की बाह्य रेटिंग की पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा समीक्षा की गई है और इसकी प्रयोज्यता की तिथि को यह लागू है।
  - जहाँ किसी संस्था को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा बहुविध जारीकर्ता रेटिंग्स निर्धारित की जाती है, वहाँ, इस संदर्भ में, जहाँ दो रेटिंग्स होती है, वहां निम्न रेटिंग और तीन या उससे ज्यादा रेटिंग होती हैं, वहाँ सबसे कम से पहले वाली रेटिंग को दी गई सुविधा के लिए उपयोग में लाया जाता है।

  निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहाँ ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2017 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ख)	जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	100% से कम जोखिम भार	1556276.87
		100% जोखिम भार	498821.42
		100% से अधिक जोखिम भार	339241.78
		घटाई गई	2008.37
		कुल	**2396348.44**

डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

ऋण जोखिम न्यूनीकरण - मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है**

तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ;

जहाँ बैंक,

क. को यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/ अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं**

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) विदेशी रेटिंग
(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(viii) बीमा
(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(x) सामान्य दिशा-निर्देश

बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं उनका ब्योरा

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)

स्वर्ण

केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां

ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी या बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3रेटिंग प्राप्त है

- **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता**

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं ढबैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) भी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई), सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।

- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी

बैंक का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
- सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण - 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

(ख)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहाँ लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात,) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	446227.14
(ग)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू है) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहाँ कहीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।	20853.07

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क)	प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा, जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है :	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप ।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा निर्वहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा; @संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो # कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों के ऋण और बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन विद्यमान है (उदाहरण के लिए संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति निवेशों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, जैसाकि के एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में बताया गया है)।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन नीचे किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं

(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर ३॰ I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : शेयर/बाण्ड में क्रय-विक्रय	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के प्रकार सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गईं या खरीद गईं:	
	कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
	टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 शेयर/बांड क्रय-विक्रय में बाजार जोखिम

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

1) मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :

बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना की पद्धति :

- व्यापार के लिए रखी गईट और ऊबिक्री के लिए उपलब्धट श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियां।
- व्यापार के लिए रखी गईट श्रेणी वाली विदेशी मुद्रा और ऊबिक्री के लिए उपलब्धट श्रेणी वाले म्यूचुअल फंड
- समस्त डेरीवेटिव्स स्थितियाँ, उन डेरीवेटिवों को छोड़कर जो बैंकिंग बहियों के बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार बचाव प्रभाविता परीक्षण पर खरे उतरते हैं।

2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

ख) ट्रेडिंग बही के लिए बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा

ग) निवेश नीति

घ) ट्रेडिंग नीति

ङ) दवाब परीक्षण नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण : 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

बाजार जोखिम पर पूंजी अपेक्षा

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2017
ब्याज दर जोखिम	₹10,491.81
इक्विटी स्थिति जोखिम	₹ 3,643.74
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	₹ 193.01
कुल	**₹14,328.56**

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक (01.04.2017 से एसबीआई के साथ विलय हो गया है) में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। एसबीआई में मुख्य जोखिम अधिकारी एमडी (अनुपालन एवं जोखिम) को रिपोर्ट करते हैं।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां ढांचागत दस्तावेज और मैनुअल लागू हैं :

नीतियाँ एवं ढांचागत दस्तावेज

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आँकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली
- आई एस नीति
- आई टी नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी)
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता ढांचागत (एसबीआई) दस्तावेज
- परिवर्तन प्रबंधन ढांचागत दस्तावेज
- पूंजी परिकलन ढांचागत दस्तावेज

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ अन्य विद्यमान नीतियाँ हैं -
आपदा रिकवरी योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक)

उच्चस्तरीय आकलन पद्धति (साथ-साथ उपयोग)

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय

एवं सहयोग समूह (आरएनसी-एनबीजी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।

- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बेसलनिर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का एक भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते-होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सेल आधारित एक टेम्प्लेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंप्लेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकित करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। वर्ष के दौरान लगभग 1000 शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने आरसीएसए कवायद में हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आई शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- समस्त व्यवसाय और सहायता समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों को लागू करने में हुई प्रगति की तिमाही अंतराल पर समीक्षा करती है। इस समय 306 प्रमुख जोखिम संकेतकों की समस्त व्यवसाय एवं सहायता समूहों के स्तर पर प्रगति-समीक्षा की जा रही है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- बेसलII में निर्धारित उच्च स्तरीय आकलन पद्धति (एएमए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए आवश्यक विकसित आंतरिक प्रणालियाँ भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान हैं।
- एएमए के साथ-साथ उपयोग के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- बैंक द्वारा "अनुदेशावलियाँ" (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठों, मोबाइल नगेट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाएँ

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाओं में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता और पर्दाफासी की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों और डेटा लॉस के बारे में शीर्ष प्रबंधन को
- नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के
- 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति (एएमए) अपनायी गई है। बीमा कंपनियाँ इसका अपवाद हैं। एएमए के तहत बैंक की पूंजी की गणना एएमए के साथ-साथ उपयोग के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भी की गई है।

डीएफ-9 : एसबीआई समूह बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम :

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलन-पत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अत: आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह ब्याज जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ)- केवल बैंकिंग बही	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	4,663.66

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दर में 200 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	26,159.18
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दर में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	13,079.59

डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

COUNTERPARTY CREDIT RISK

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व उससे डेरीवेटिव्सलेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरीवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋणसीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

बैंक ने ऐसे किसी बैंक के साथ कोई कोलेट्रल करार (ऋण सहायता सहित या समतुल्य) नहीं किया है जिसके लिए कोलेट्रल रखना आवश्यक हो। बैंक द्विपक्षीय निवलीकरण को नहीं मानता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण - दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर विनिमय	91,516.19	641.21
ख) करेंसी विनिमय	28,006.55	910.46
ग) करेंसी विकल्प	14,247.75	247.21
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	312,858.86	6,320.25
ङ) करेंसी फ्यूचर्स	0.00	0.00
च) वायदा दर करार	125.18	76.52
छ) अन्य	0.00	0.00
योग	**446,754.53**	**8,195.65**

डीएफ-11: पूंजी के घटक

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रूमेंट और रिज़र्व			संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	56220.58	ए1+बी3
2	प्रतिधारित उपार्जन	120631.18	B1 + B2 + B7 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)	19822.31	B5 * 75% + B6 * 45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत)	3381.90	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	200055.97	
साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	943.41	D
9	अमूर्त बंधक की पूर्ति के अधिकार से इतर (संबंधित कर देयता घटाकर)	72.32	
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	5281.99	
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व		
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि		
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	52.59	
17	साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	150.81	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश		
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार		
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1485.29	
26क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1474.30	
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	10.99	
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है		
26घ	जिसमें : अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय		
27	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28	साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	7986.41	
29	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	192069.56	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : लिखत			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	9045.50	

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रूमेंट और रिजर्व		संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	9045.50	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	2526.32	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत)	1112.04	
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं	150.00	
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	12683.86	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ		
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)		
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41ख	आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	3265.48	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	9418.38	
45	टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) [29+44 क]	201487.94	
	टियर 2 पूंजी : लिखत और प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य	12500	
47	सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	15801.80	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित टियर 2 लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	5419.31	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं		
50	प्रावधान	17126.46	
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी	50847.57	
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश	88.01	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	4.22	
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)	0	
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश		
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है, टियर 2 पूंजी में कमी		
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	92.23	
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	50755.34	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) ढ45 +58ज	252243.28	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)	1935270.15	
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1573578.10	
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	179107.02	
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	182585.03	

(₹ करोड़ में)

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रूमेंट और रिजर्व			संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
पूंजी अनुपात और बफर्स			
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.92	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.41	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.03	
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त)	6.90	
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	1.25	
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.15	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.42	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश	527.24	
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	716.49	
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	17126.46	
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	19669.73	
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0.00	
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0.00	
पूंजी लिखत जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	0.00	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	0.00	
82	एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं	50%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	50%	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		

टेम्प्लेट के नोट

टेम्प्लेट का पंक्ति क्रमांक	विवरण	(₹ करोड़ में)
10	संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां संचित हानियों के साथ	5281.99
	आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता घटाकर	716.49
	योग जैसे पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	5281.99
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेशों को पूंजी में से पूर्णतया नहीं घटाया गया है और इसके बजाय कटौती की 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत गणना में शामिल किया गया है, तो इस कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0
	जिसमें से : साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	जिसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0
26b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेशों को नहीं घटाया गया है और इसलिए जोखिम भारित है:	0
	(i) साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	17126.46
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन रिजर्व्स	0
	पंक्ति 50 का योग	**17126.46**

*बी 7 आय और अन्य रिजर्व एकीकरण और विकास निधि (रु. 5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं

एफ-12: पूंजी घटक - समाधान संबंधी अपेक्षाएं

31.03.2017 को स्टेट बैंक समूह का समेकित तुलन पत्र, बेसल III के अनुसार

चरण-1

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग की तारीख को	**रिपोर्टिंग की तारीख को**
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	797.35	797.35
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	216,394.79	210,605.34
	आधे से कम हित	6,480.65	4,530.98
	कुल पूंजी	**223,672.79**	**215,933.67**
ii	**जमाराशियाँ**	**2,599,810.67**	**2,600,874.56**
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	26,840.79	26,840.79
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	2,572,969.88	2,574,033.77
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
iii	**उधार**	**336,365.66**	**336,395.89**
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,000.00	5,000.00
	जिनमें : बैंकों से	170,160.13	170,160.13
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	101,568.64	101,558.71
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	59,636.89	59,677.05
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	285,272.44	185,730.32
	कुल	**3,445,121.56**	**3,338,934.44**
ख	**आस्तियाँ**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	161,018.61	160,891.35
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	112,178.54	109,998.02
ii	**निवेश**	**1,027,280.87**	**928,341.38**
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	789,137.30	749,507.11
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	7,423.44	0.13
	जिनमें : शेयर	30,162.44	7,188.43
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	116,117.35	92,906.51
	जिनमें : अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,841.72	2,143.22
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	81,598.62	76,595.98
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,896,886.82**	**1,896,707.95**
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	90,534.44	90,534.44
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,806,352.38	1,806,173.51
iv	**अचल आस्तियाँ**	50,940.74	50,300.68
v	**अन्य आस्तियाँ**	195,872.57	191,751.65
	जिनमें : गुडविल और अमूर्त आस्तियाँ	-	-
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	4,923.38	4,918.13
vi	**समेकन पर गुडविल**	943.41	943.41
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	-	-
	कुल आस्तियाँ	**3,445,121.56**	**3,338,934.44**

चरण-2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ क्रमांक
क	**पूंजी और देयताएँ**			
i	प्रदत्त पूंजी	797.35	797.35	A
	जिनमें : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	797.35	797.35	A1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	A2
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	216,394.79	210,605.34	B
		64,753.52	64,753.52	B1
	जिनमें : सांविधिक आरक्षित निधि	5,246.10	5,244.53	B2
	जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	55,423.23	55,423.23	B3
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	1,157.10	1,157.10	B4
	जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	5,073.92	5,073.41	B5
	जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	35,593.88	35,593.88	B6
	जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	53,487.08	50,638.13	B7
	जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	-4,340.04	-7,278.46	B8
	आधे से कम हिस्सेदारी	6,480.65	4,530.98	
	कुल पूंजी	**223,672.79**	**215,933.67**	
ii	**जमाराशियाँ**	**2,599,810.67**	**2,600,874.56**	
	of which: Deposits from banks	26,840.79	26,840.79	
	of which: Customer deposits	2,572,969.88	2,574,033.77	
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-	
iii	**उधार**	**336,365.66**	**336,395.89**	
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,000.00	5,000.00	
	जिनमें : बैंकों से	170,160.13	170,160.13	
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	101,568.64	101,558.71	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	59,636.89	59,677.05	
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**285,272.44**	**185,730.32**	
	जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल	**3,445,121.56**	**3,338,934.44**	
ख	**आस्तियाँ**			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	**161,018.61**	**160,891.35**	
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**112,178.54**	**109,998.02**	
ii	**निवेश**	**1,027,280.87**	**928,341.38**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	789,137.30	749,507.11	
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	7,423.44	0.13	
	जिनमें: शेयर	30,162.44	7,188.43	
	जिनमें: डिबेंचर और बांड	116,117.35	92,906.51	
	जिनमें: अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,841.72	2,143.22	
	जिनमें: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि	81,598.62	76,595.98	
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,896,886.82**	**1,896,707.95**	
	जिनमें: बैंकों को ऋण और अग्रिम	90,534.44	90,534.44	
	जिनमें: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,806,352.38	1,806,173.51	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**50,940.74**	**50,300.68**	
v	**अन्य आस्तियाँ**	**195,872.57**	**191,751.65**	
	जिनमें: गुडविल	-	-	
	जिनमें: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)			
	जिनमें: आस्थगित कर आस्तियाँ	4,923.38	4,918.13	C
vi	**समेकन पर गुडविल**	**943.41**	**943.41**	D
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-	
	कुल आस्तियाँ	**3,445,121.56**	**3,338,934.44**	

चरण 3
साझा इक्विटि टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ

(₹ करोड़ में)

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक	संदर्भ क्र. (डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त साझा शेयर पूंजी (और गैर स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और संबंधित स्टॉक अधिशेष	56220.58	A1 + B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	120631.18	B1 + B2 + B7 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (अन्य कोई भी रिजर्व)	19822.31	B5 * 75% + B6 * 45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से हटने वाली है (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित साझा शेयर पूंजी (समूह की सीईटी 1 में अनुमत राशि)	3381.90	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	200055.97	
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	943.41	D

* बी7: आय और अन्य आरक्षित निधियाँ एकीकरण और विकास निधि (रु. 5 करोड़) को घटाकर दिखाई गई हैं

डीएफ16- इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में ये भी शामिल हैं : (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1)	
	• ऐसी धारिताएं, जिनसे पूंजीगत लाभ होने की संभावना है और संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई धारिताओं के बीच अंतर	सहयोगियों, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिपक्वता तक रखी गई (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत सभी इक्विटी निवेश (देशीय) किए जाते हैं। ये कार्यनीतिक स्वभाव के होते हैं।
	• बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यन एवं लेखांकन संबंधी प्रमुख नीतियों में चर्चा। इसमें इन सभी प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रमुख धारणाओं एवं प्रथाओं को प्रभावित करने वाले मूल्यन सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक एवं मूल्यन पद्धतियां शामिल हैं।	एचटीएम प्रतिभूतियों के लेखांकन एवं मूल्यन के संबंध में बैंक के वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 के पैरा सी-2 में बताए गए अनुसार
31 मार्च 2017 को मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलनपत्र में सूचित निवेशों का मूल्य तथा उन निवेशों का वास्तविक मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर का मूल्य वास्तविक मूल्य से काफी अलग है।	80.12
2	निवेशों के प्रकार, साथ ही राशि जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:	
	सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड	2217.39
	निजी रूप से धारित	9210.38
3	संदर्भाधीन अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	1755.00
4	न वसूल किया गया लाभ (हानि)	39.08
5	नवीनतम पुनर्मूल्यन लाभ (हानि)	1.19
6	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी सम्मिलित उपर्युक्त अन्य कोई भी राशि	0.00
7	बैंक की पद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा खंडित पूंजी, समग्र राशियां एवं उन इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षण अंतरण अथवा विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।	16.55

तालिका डीएफ-17 : लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के मापन की तुलना का सार

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	34451215.60
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन प्रयोजन से समेकित किया जाता है, परंतु इसे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर किया जाता है।	-1061871.30
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के परिणामस्वरूप तुलनपत्र में हिसाब में ली गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन पर इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाता है।	0
4	डेरीवेटिव्सवित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	154,712.88
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात रेपो एवं इसी प्रकार के प्रतिभूतिकृत ऋण) के लिए समायोजन	697,149.32
6	तुलनपत्र इतर मदों (अर्थात तुलनपत्र इतर निवेशों के ऋण बराबर राशियों में अंतरण) के लिए समायोजन	3362414.39
7	अन्य समायोजन	-112518.90
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	37491101.99

तालिका डीएफ-18 : 31 मार्च 2017 को लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र निवेशों पर	
1	तुलनपत्र मदों पर (डेरीवेटिव्सएवं एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को मिलाकर)	33389344.30
2	बेसल III , टियर 1 की पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति राशियां	-112518.90
3	**कुल तुलनपत्र निवेश (डेरीवेटिव्सएवं एसएफटी को छोड़कर) लाइन 1 एवं 2 का योग**	33276825.40
	डेरीवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरीवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित रिप्लेसमेंट लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	61,048.37
5	सभी डेरीवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-आन राशियां	93,664.51
6	दिए गए डेरीवेटिव्स संपार्श्विक जहां परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया, का कुल	0
7	(डेरीवेटिव्स लेनदेनों में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कटौती)	0
8	(क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण डेरीवेटिव्स की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरीवेटिव्स के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौतियां)	0
11	**कुल डेरीवेटिव्स निवेश (लाइन 4 से 10 का योग)**	154,712.88
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	विक्रय लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (निवल को हिसाब में लिए बिना)	697149.32
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का योग)**	697149.32
	अन्य तुलनपत्र इतर निवेश	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलनपत्र इतर निवेश	11121968.64
18	(ऋण बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-7759554.25
19	**तुलनपत्र इतर मदें (लाइन 17 एवं 18 का योग)**	3362414.39
	पूंजी एवं कुल निवेश	
20	**टियर 1 पूंजी**	**2014879.40**
21	**कुल निवेश (लाइन 3, 11, 16 एवं 19 का योग**	**37,491,101.99**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III का अनुपात**	**5.37**

डीएफ - समूह जोखिम : समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में*	
(विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)	
सामान्य विवरण	
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियाँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाती हैं / अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा*, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

घ) समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ) ऋण चुकौती में चूक संबंधी शर्तोंट को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

*सम्मिलित कंपनियाँ

बैंकिंग - देश में स्थित	बैंकिंग - विदेश स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मारीशस)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
	भारतीय स्टेट बैंक (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.
		एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तों (डीएफ-14) को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर कॉरपोरेट अभिशासन बेसल - 3 प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अंतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

31 मार्च 2017 को ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट http://www.sbi.co.in पर corporate-governance के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं।

हरी भरी धरती के लिए एक पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉरपोरेट अभिशासन में हरी भरी धरती के लिए एक पहल

सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिनके ई-मेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं।

आपका बैंक चाहता है कि इस "हरी भरी धरती के लिए एक पहल" में आप भी बैंक के साथ सहभागिता करें, जिससे कि बैंक आपको इलेक्ट्रानिक ढंग से, अर्थात ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सूचनाएं भेज सके। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा अपितु सूचनाएं भी शीघ्र भेजी जा सकेंगी और सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी व नुकसान से बचा जा सकेगा। यदि आपके पास शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करके इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी अद्यतन सूचना/परिवर्तन sbigreenar@dfssl.comई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनैंसियल सर्विसेज लि. के पास भेज दें।

यद्यपि आप में से अधिकांश शेयरधारकों के पास अधिकांश डीमैट शेयर ही हैं, फिर भी कुछ शेयरधारकों के पास अभी भी कागजी स्वरूप वाले शेयर हैं। आपके पास रखे हुए कागजी स्वरूप वाले शेयरों को आसानी से डीमैट स्वरूप में बदला जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में। शेयरों को डीमैट बनाने के फायदें निम्नलिखित हैं :

- प्रतिभूतियों (शेयरों) का तुरंत ट्रांसफर, प्रतिभूतियों के ट्रांसफर पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं।
- कागजी स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने से जुड़ी हुई जोखिमों में कमी, जैसे शेयरों का चोरी होना, आग, रख-रखाव में लापरवाही आदि के कारण शेयरों का नुकसान।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों के पास दर्ज आपके पते में इलेक्ट्रानिक ढंग से अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों में आपने निवेश कर रखा है जिससे उन प्रत्येक कंपनियों के साथ अलग से पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- ईक्विटी, ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को एक खाते में ही रखा जाता है।
- बोनस/विभाजन/समेकन/विलय आदि के मामले में डीमैट खाते में शेयर अपने आप जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास कागजी स्वरूप में शेयर हैं, तो कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (जैसे एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लिमिटेड से टोल फ्री नंबर 1800223345, ई-मेल helpdesk@sbicapsec.com) से संपर्क करें। डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरए) भरकर और उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र लगाकर उसे अपनी डीपी के पास भेज दें, जिससे आपके शेयरों को डीमैट में बदला जा सके। शेयरों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में बदल कर स्वतः ही आपके डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

यदि आप लाभांश चेक के रूप में लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक खाते का ब्योरा डीपी/आरटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास प्रस्तुत कर दें/अद्यतन करा लें जिससे लाभांश की राशि सीधे आपके खाते में जमा की जा सके।

हमें विश्वास है कि आपके बैंक द्वारा शुरू की गई इस "हरी भरी धरती के लिए एक पहल" का आप सम्मान करेंगे और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 में दिनांक 15.09.2010 से शामिल किया गया है। उक्त धारा के अनुसार, स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को उसकी घोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी शेयरधारक को प्रदत्त नहीं किया गया हो, या जिसके लिए पात्र शेयरधारक द्वारा दावा नहीं किया गया हो, "अप्रदत्त लाभांश खाता" नामक एक विशेष खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संशोधन के पूर्व की अवधि की सभी अप्रदत्त लाभांश राशि को उक्त "अप्रदत्त लाभांश खाते" में पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में यथा उपर्युक्त ट्रांसफर की गई कोई भी राशि ट्रांसफर की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावाकृत रहती है, तो उसे बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बाद में उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किए गए ढंग एवं प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय होने वाले लाभांश का उन्होंने तुरंत दावा कर लिया है।

भारतीय स्टेट बैंक

प्रॉक्सी फार्म

फालियो क्र. _____

डीपी/ग्राहक आई.डी. क्र._____

मैं/हम,_____

निवासी_____

बैंक के कॉरपोरेट केंद्र में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के_____

शेयर/ शेयरों का धारक हूँ/ शेयरों के धारक हैं और एतदद्वारा_____

_____ निवासी _____ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _____ निवासी _____ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की_____ में दिनांक_____

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांकित_____ के _____ दिवस को

15 पैसे का रसीदी टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथास्थिति उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसके अंगूठे का निशान है, जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी, कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थनीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केंद्र या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन प्वॉइंट, मुंबई-400 021 को प्रॉक्सी फाम, मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक
शेयरधारकों की वार्षिक महासभा उपस्थिति पर्ची

दिनांक : ☐☐☐☐☐☐☐☐

फोलियो क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐

डी.पी./ग्राहक आई.डी क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयरधारक/प्रथम धारक का पूरा नाम: _____

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे/डी.पी. रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता : _____ पिन ☐☐☐☐☐☐

कुल धारित शेयरों की संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक (धारित शेयर कागजी स्वरूप में होने पर) ☐☐☐☐☐☐☐ से ☐☐☐☐☐☐☐ तक

क्या भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम आर. 31* के अनुसार मत देने का अधिकार है: हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या, जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में):

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप में							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

सील/मोहर:

नोट:

I. भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

II. यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारक है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टांप के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

III. वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

IV. शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभा स्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे-पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

*विनियम 31-मतदान के अधिकारों का निर्धारण:

I. अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधान के अध्यधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो महासभा की तारीख से तीन महीनों पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

II. प्रत्येक शेयरधारक जो केंद्र सरकार से भिन्न है और कंपनी नहीं है, जिसे उपर्युक्तानुसार मत देने का अधिकार है और जो व्यक्तिशः अथवा प्रॉक्सी अथवा कंपनी होने के कारण प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है, को हाथ दिखाकर मत देने अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

III. केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ दिखाने पर एक मत अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

शेयरधारक (कों) के उपयोग के लिए

मेसर्स डेटामेटिक्स फाइनैंशियल सर्विसेज लि.,
यूनिट:भारतीय स्टेट बैंक
प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,
एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-400 093

टेलिफोन नं. 022-66712198/2199/2202

निवेशक द्वारा क्रेडिट क्लियरिंग व्यवस्था के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भुगतान प्राप्त करने का विकल्प देने के लिए

1. निवेशक का नाम (i)_____
   (ii)_____
   (iii)_____
2. वर्तमान पता _____
   _____
   _____
   पिन:_____
   टेलि.नं.औरमोबाइलनं_____
   (भविष्य में पत्राचार और ई-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए)
3. फोलियो नं _____(केवल कागजी स्वरुप वाले शेयरों के मामले में)
4. पीएफ सूचकांक: _____
   (केवल एसबीआई के उन कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए जिनके पास एसबीआई के शेयर हैं)
5. बैंक खाते का ब्योरा
   क. बैंक का नाम:_____
   ख. शाखा का नाम:_____
   (पूरा पता)
   _____
   पिन:_____
   ग. बैंक शाखा का 9 अंकों का एमआईसीआर कोड
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   (जैसे बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक में दिया गया है)
   घ. खाते का प्रकार:.....
   (बचत बैंक खाता (कोड 10) या चालू खाता (कोड 11) या कैश क्रेडिट (कोड 13)
   ड. खाता सं. (जैसे चेकबुक में दी गई है। कृपया एक कोरा "रद्द" चेक या उसकी फोटो प्रति संलग्न करें)
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा ठीक और पूरा है। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या यह पूरा नहीं हो पाता है तो भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान:

दिनांक: (प्रथम धारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य:

1. इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) में शेयरधारिता वाले शेयरधारक (कों) से अनुरोध है कि वे ऊपर दिया गया समस्त ब्योरा अपने डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी के साथ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सूचित कर दे (दें)।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कागज रूप में धारित शेयरों को डीमैट खाते में लाने के लिए विकल्प दें।
3. शेयरधारकों/बांडधारकों से अनुरोध है कि वे नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ।
4. नामांकन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर कॉरपोरेट अभिशासन/शेयरधारक सूचना नामांकन फॉर्म लिंक के अंतर्गत अपलब्ध है।
5. नवीनतम जानकारी के लिए www.sbi.co.in कॉरपोरेट अभिशासन/शेयरधारक सूचना देखें।

वार्षिक महासभा के स्थल तक पहुँचने का मार्ग

स्थल: वाई.बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, वाई.बी. चव्हाण केन्द्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 (महाराष्ट्र)

एसबीआई कॉरपोरेट केन्द्र से दूरी : 180 मीटर

चर्चगेट स्टेशन से दूरी : 0.95 किलो मीटर

छत्रपति शिवाजी स्टेशन से दूरी : 2.20 किलो मीटर